समाहरणालय, अरवल।

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
25.04.2017	**न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल** **शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0 – 86/डी0एम0/2016** आदेश **श्री योगेन्द्र शर्मा, पिता–श्री कपिलदेव शर्मा, सा0–पो0–लारी, थाना–कुर्था, जिला–अरवल** द्वारा एक **एन0पी0बोर राईफल/रिवॉल्वर** की अनुज्ञप्ति हेतु **वर्ष 2015** में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद कायम करते हुए पुलिस अधीक्षक, अरवल से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 06.12.2016 एवं पुनः **दिनांक 25.04.2017** को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। दिनांक 06.12.2016 एवं दिनांक 25.04.2017 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए कार्यालय पत्रांक 451/शस्त्र दिनांक 24.11.2016 एवं पुनः पत्रांक 29/शस्त्र दिनांक 13.04.2017 द्वारा आवेदक को थाना अध्यक्ष, कुर्था के माध्यम से सूचना पत्र भेजी गई। दोनों सूचना पत्रों को थाना अध्यक्ष, कुर्था द्वारा यह अंकित करते हुए वापस किया गया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम लारी में नहीं रहते है। जिसके कारण नोटिस का तामिल नहीं कराया जा सका। **थाना अध्यक्ष, कुर्था के तामिला प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री योगेन्द्र शर्मा, पिता–श्री कपिलदेव शर्मा, सा0+पो0–लारी, थाना–कुर्था, जिला–अरवल द्वारा गलत पता/कागजात समर्पित कर अरवल जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु कुत्सिक प्रयास किया गया है।** शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं थाना अध्यक्ष, कुर्था से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री योगेन्द्र शर्मा, पिता–श्री कपिलदेव शर्मा, सा0–पो0–लारी, थाना–कुर्था, जिला–अरवल** के आवेदित एक **एन0पी0बोर राईफल** की अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को *अस्वीकृत* किया जाता है। *वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।* लेखापित एवं संशोधित 25/4/17 जिला दंडाधिकारी, अरवल 25/4/17 जिला दण्डाधिकारी, अरवल	